रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052022-235622
CG-DL-E-07052022-235622

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944
No. 120] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 मई, 2022

फा.सं.1(10)/2018-एसपी-I.— केन्द्रीय सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने और पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन, विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से दिनांक 22.04.2022 की अधिसूचना सं. 1(10)/2018-एसपी-I के माध्यम से ऐसे परियोजना प्रस्तावकों से जिन्होंने अपनी मौजूदा इथेनॉल डिस्टीलेशन क्षमता को बढ़ाने के लिए अथवा अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और सोरघम), गन्ना (चीनी, शुगर सीरप, गन्ना जूस, बी-हैवी शीरा, सी-हैवी शीरा सहित), चुकंदर आदि जैसे फीड स्टॉक से फर्स्ट जनरेशन (1 जी) इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए नई डिस्टिलरियों की स्थापना हेतु इथेनॉल परियोजना के लिए भूमि अधिगृहीत किया है और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली है, से नए आवेदन आमंत्रित करने के लिए आशोधित स्कीम दिनांक 14.01.2021 के तहत दिनांक 22.04.2022 से छ: माह तक के लिए एक विंडो खोला है।

2. दिनांक 22.04.2022 की उक्त अधिसूचना के पैरा 9 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि इस अधिसूचना का पैरा 3 निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

(3) आवेदन प्रस्तुत करना:

"इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए, ऐसी चीनी मिलों/डिस्टिलरियों/उद्यमियों, जिन्होंने अपनी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली है, उन्हें निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-I) में आवेदन-सह-प्रस्ताव https://www.nsws.gov.in पर केवल ऑन-लाईन माध्यम द्वारा दिनांक 22.04.2022 से छ: माह की

अवधि के दौरान निदेशक (शर्करा एवं वनस्पति तेल), शर्करा एवं वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), कृषि भवन, नई दिल्ली को, इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, भेजना अपेक्षित होगा।"

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th May, 2022

F. No.1(10)/2018-SP-I.—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers, opened a window for six months w.e.f. 22.04.2022 under modified scheme dated 14.01.2021 for inviting fresh applications from those project proponents who have acquired land for ethanol project and obtained Environmental Clearance (EC) for enhancement of their existing ethanol distillation capacity or to set up new distillery for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane (including sugar, sugar syrup, sugarcane juice, B-heavy molasses, C-heavy molasses), sugar beet etc. vide notification No. 1(10)/2018-SP-I dated 22.04.2022.

2. Now in pursuance of para 9 of the said notification dated 22.04.2022, Central Government has decided that Para 3 of the notification may be read as under:-

(3) Submission of application:

"For availing assistance under the Scheme, the sugar mills/distilleries/entrepreneurs who have acquired land and obtained environmental clearance for their project would be required to submit an application cum-proposal in the prescribed Proforma (Annexure-I) to the Director (S&VO), Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Department of Food & Public Distribution (DFPD), Krishi Bhawan, New Delhi during the period of six months w.e.f. **22.04.2022** through online mode only on the https://www.nsws.gov.in to avail benefit under the scheme."

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.07 13:17:31 +05'30'